बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम श्योला पुत्र हेमला, श्योलाराम पुत्र हेमला व खाता सं0 89 में प्रार्थी की जाति माली की जगह राजपूत गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी का सही नाम श्योलाराम पुत्र हेमाराम जाति माली है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व अन्य भूमि की जमाबन्दी की प्रतियों से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
जगतसिंह नगर	खाता सं0 83	श्योला पुत्र हेमला	श्योलाराम पुत्र हेमाराम
	खाता सं0 91, 92, 94, 83	श्योलाराम पुत्र हेमला	श्योलाराम पुत्र हेमाराम
	खाता सं0 89	श्योलाराम पुत्र हेमाराम जाति राजपूत	श्योलाराम पुत्र हेमाराम जाति माली

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद [illegible] शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।
निर्णय सरे इजलास सुनाया [illegible]।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:55:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

श्योलाराम बनाम मुनिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 रा.भू.रा. अधिनियम

मुकदमा नं0 390/2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	...प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र धारा 136 रा. भू. रा. अधिनियम ... वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया ...कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली ...नांक ...09.2021 को पेश हो।	
-09-21	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामिल अनु0 अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस एकपक्षीय सूनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 09.10.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 शिविर मगेना में पेश हो।	प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021
9-10-21	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि ग्राम जगतसिंहनगर स्थित वादग्रस्त आराजी खाता सं0 83 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम श्योला पुत्र हेमला व खाता सं0 91, 92, 94, 83 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम श्योलाराम पुत्र हेमला व खाता सं0 89 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम श्योलाराम पुत्र हेनाराम जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम श्योलाराम पुत्र हेनाराम जाति माली है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम श्योला पुत्र हेमला, श्योलाराम पुत्र हेमला व खाता सं0_89 में प्रार्थी की जाति माली की जगह राजपूत गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, की प्रतियां व ग्राम जगतसिंहनगर की अन्य खातेदारी भूमि खाता सं0 149, 87, 86, 85, 84 की प्रतियां पेश की जिनमे प्रार्थी का सही नाम श्योलाराम पुत्र हेनाराम जाति माली है।	

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:55:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner